

संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा
PROFORMA FOR REIMBURSEMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

शैक्षणिक वर्ष : 20..... - 2... के लिए दावा / CLAIM FOR THE ACADEMIC YEAR: 20..... - 2...

मैं एतद्वारा अपने बच्चे/बच्चों के लिए संतान शिक्षा भत्ता/छात्रावास-सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करता हूँ और इससे संबंधित विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं:-

I hereby apply for the reimbursement of Children Education Allowance / Hostel-Subsidy for my child / children and relevant particulars are furnished below:

1.	कार्मिक का नाम Name of the Employee			
2.	कार्मिक संख्या / Employee Code			
3.	पद /Designation			
4.	इकाई का नाम /Name of the Unit			
5.	यदि पति/पत्नी कार्यरत हैं, तो बताएं कि क्या केंद्र सरकार, पीएसयू या राज्य सरकार में है। (पति/पत्नी के नाम सहित विवरण दें) If Spouse is employed, state whether in Central Govt. PSU, State Govt. (give details with name of the Spouse)			
6.	पदनाम, कार्यालय और पति/पत्नी की बी.यू. संख्या, यदि पति/पत्नी रेलवे में कार्यरत हैं Designation, Office & B.U. No. of spouse, if spouse is employed in Railway			
7.	बच्चे/बच्चों का विवरण जिनके लिए संतान शिक्षा भत्ता /छात्रावास सब्सिडी का दावा किया गया है Details of the child / children for whom CEA / Hostel Subsidy claimed			
	क्रम / Sequence	संतान का नाम / Name of the child	जन्मतिथि/ DOB	कक्षा / Standard (शैक्षणिक वर्ष/ Academic Year 202..... - 2.....)
	विद्यालय/संस्थान का नाम एवं स्थान Name & Place of the School/ Institution			
	प्रथम संतान First Child			
	द्वितीय संतान Second Child			
8.	व्यय की प्रतिपूर्ति /Reimbursement of Expenditure:			
	क्रम Sequence	अवधि Period	संतान शिक्षा भत्ते की दर (₹) Rate of CEA (₹)	दावे की राशि Amount claimed
	टिप्पणी Remarks			
	प्रथम संतान First Child			₹
	द्वितीय संतान Second Child			₹
	दावा की गई कुल राशि / Total Amount Claimed			₹
9.	कर्मचारी के निवास से संतान के छात्रावास की दूरी (छात्रावास सब्सिडी के मामले में): Distance of Hostel of child from residence of employee (in case Hostel Subsidy):			
10.	पूर्व प्राप्त पिछली तिमाही तक का संतान शिक्षा भत्ता /छात्रावास सब्सिडी की राशि: Amount of CEA / Hostel Subsidy already received up to previous quarter:			
11.	शैक्षणिक वर्ष जिसके लिए संतान शिक्षा भत्ता / छात्रावास-सब्सिडी के लिए अभी आवेदन किया है: The Academic year for which CEA / Hostel-Subsidy is applied now:			
12.	(क) क्या जिस संतान के लिए संतान शिक्षा भत्ता हेतु आवेदन किया गया है, वह दिव्यांग है:			हां/नहीं

	(a) Whether the child for whom the CEA is applied for is a disabled child: (ख) यदि हाँ, तो दिव्यांगता की प्रकृति का उल्लेख करें (b) If yes, indicate the nature of disability:	Yes/No
	(ग / c) दिव्यांगता प्रमाण पत्र की तिथि / Date of disability certificate: (घ / d) दिव्यांगता का प्रतिशत बताएं / Indicate the percentage of disability:	
13.	क्या संस्था के प्रमुख से वास्तविकता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है: Whether the Bonafide certificate from Head of Institution has been attached:	हां/नहीं Yes/No
14.	छात्रावास सब्सिडी के लिए, राशि का उल्लेख करने वाला वास्तविकता प्रमाण पत्र संलग्न है: For Hostel Subsidy, the Bonafide certificate from mentioning the amount is attached	हां/नहीं Yes/No
15.	यदि हाँ, तो मद संख्या 14 पर, छात्रावास सब्सिडी के लिए दावा की गई राशि: If Yes at Item No. 14, Amount claimed for Hostel Subsidy:	₹
16.	(क) प्रमाणित किया जाता है कि मैं या मेरी पत्नी/पति केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं/ नहीं हैं। (a) Certified that I or my wife / husband is / is not a Central Government servant. (ख) प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरी पत्नी/पति श्रीमती/श्री वर्तमान में में के रूप में कार्यरत हैं। और यह कि वह ऊपर उल्लिखित बच्चे/बच्चों के लिए संतान शिक्षा भत्ता के लिए आवेदन नहीं करेगा/करेगी /आवेदन नहीं किया है। (b) Certified that my wife / husband Smt / Shri is presently working as in and that he/ she shall not apply / has not applied for the Children Education Allowance for the child / children mentioned above. (ग) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने या मेरी पत्नी/पति ने किसी अन्य स्रोत से इस प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है और भविष्य में इसका दावा नहीं करेंगे। (c) Certified that I or my wife / husband-has not claimed this re-imburement from any other source and will not claim the same in future.	
17.	प्रमाणित किया जाता है कि मेरी संतान जिसके संबंध में संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति लागू है, विद्यालय/जूनियर कॉलेज में पढ़ रहा/रही है, जो शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त और संबद्ध है। Certified that my child in respect of whom re-imburement of Children Education Allowance is applied is studying in the School / Jr. College which is recognized and affiliated to Board of Education / University.	
18.	प्रमाणित किया जाता है कि मैं केवल अपने दो सबसे बड़े जीवित संतानों के संबंध में संतान शिक्षा भत्ता का दावा कर रहा/रही हूँ, उपरोक्त जानकारी पूर्ण और सही है और मैंने किसी भी प्रासंगिक जानकारी को छुपाया नहीं है। ऊपर दिए गए विवरण में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, जो संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता है, मैं इसे तुरंत सूचित करने और अतिरिक्त भुगतान यदि कोई हो तो वापस करने का वचन देता/देती हूँ। इसके अलावा, मुझे ज्ञात है कि यदि किसी भी स्तर पर उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज फ़र्जी पाए जाते हैं, तो मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। Certified that I am claiming the CEA in respect of my two eldest surviving children only. The information furnished above are complete and correct and I have not suppressed any relevant information. In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for reimbursement of Children Education Allowance, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments if any made. Further, I am aware that if at any stage the information / documents furnished above is found to be false, I am liable for disciplinary action.	

दिनांक/Date:

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर /Signature of Govt Servant)

स्थान /Place:

नाम /Name:

पद /Designation :

प्रतिहस्ताक्षरित /COUNTERSIGNED

दिनांक/Date:

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के
प्राधिकार के अंतर्गत आदेश संख्या ए-27102[02[2017-स्था. (ए एल) 16 अगस्त 2017
(यह आदेश 01 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा)

संस्था / विद्यालय के प्रमुख से प्रमाण पत्र
(संतान शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति के लिए)

संदर्भ क्र. _____

दिनांक: _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि मास्टर / कुमारी _____ प्रवेश क्रमांक _____
जन्मतिथि _____ पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती _____ पिछले शैक्षणिक वर्ष _____ के दौरान कक्षा
_____ वर्ग _____ रोल नंबर _____ विद्यालय / संस्था _____ से संबद्धता पंजीकरण
संख्या _____ कोड _____ और पैटर्न _____ पाठ्यचर्या के माध्यम से पढ़ रहा था / रही थी।

स्थान:
दिनांक:

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
(विद्यालय की मोहर लगाएँ)

**Authority vide Government of India Ministry of Personal P.G and Department of Personal &
Training, New Delhi, Order No. A-27102[02[2017-Estt. (AL) dated 16 August 2017**
(This order shall be effective from 01 Jul 2017)

**CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION / SCHOOL
(FOR REIMBURSEMENT OF CEA)**

Ref No.

Date:

It is certified that Master / Kumari having Admission No _____ D.O.B. _____ Son / Daughter of
Mr. / Mrs. _____ was studying in Class _____ Sec _____ Roll No. _____ during
the Previous Academic Year _____ from to School/Institution, namely _____
vide affiliation Regd No. / _____ Code _____ and pattern _____ Curriculum.

Place:

Date:

Signature of Principal
(Affix School Stamp)

स्व-घोषणा / SELF-DECLARATION

मैं, _____ एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरा पुत्र / मेरी पुत्री _____ पिछले शैक्षणिक वर्ष 20__- 2__ के दौरान कक्षा _____ वर्ग _____ रोल नंबर _____ विद्यालय _____ में पढ़ा / पढ़ी है।

ऊपर दिए गए विवरण में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में जो संतान शिक्षा भत्ते के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता है, मैं इसे तुरंत सूचित करने और अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, वापस करने का वचन देता/देती हूं।

I, _____ do hereby certify that my Son / Daughter namely _____ Studied in Class _____ Sec _____ Roll No. _____ during Previous Academic Year 20__- 2__ in _____ School.

In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for Children Education Allowance. I undertake to intimate the same promptly and refund excess payment, if any made to me.

दिनांक/Date:

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर /Signature of Govt Servant)

स्थान /Place:

नाम / Name:

पद / Designation :